खण्ड – क

खण्ड – क

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश

देव संस्कृति विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जुलाई - दिसंबर 2020 सत्र में प्रवेश हेतु निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं:

पाठ्यक्रम	अवधि	आयु सीमा (वर्ष)	योग्यता	प्रवेश शुल्क (रु)	परामर्श शुल्क (रु)	प्रायोगिक कक्षा शुल्क (रु)	परीक्षा शुल्क (रु)	कुल शुल्क (रु)
व्यक्तित्व परिष्कार (01)– प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	6 माह	50	12 वीं	2400	0	0	600	**3000**
परिवार प्रबंधन (02)– प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	6 माह	50	12 वीं	2400	0	0	600	**3000**
भारतीय संस्कृति (03)– प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	6 माह	50	12 वीं	2400	0	0	600	**3000**
योग प्रवेशिका (04)– प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	6 माह	50	12 वीं	2000	550	1500	750	**4800**
स्वास्थ्य संरक्षण (05)– प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	6 माह	50	12 वीं	2000	550	1500	750	**4800**
स्नातकोत्तर डिप्लोमा योग विज्ञान (06)	1 वर्ष	50	स्नातक	4000	1000	3000	1500	**9500**
संस्कृत प्रवेशिका (07)– प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	6 माह	50	12 वीं	2400	0	0	600	**3000**

- 10 वीं कक्षा की अंकतालिका/प्रमाणपत्र में दी गई जन्मतिथि के आधार पर आयु जाँची जाएगी।
- 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण; Graduation=स्नातक कक्षा उत्तीर्ण।

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश

- 'आवेदक' का अर्थ है वह व्यक्ति जो स्वयं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश लेने का इच्छुक है। कोई व्यक्ति किसी अन्य की तरफ से आवेदन नहीं कर सकता है।
- आवेदन करने संबंधी समस्त जानकारी दूरस्थ शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर निम्नलिखित वेब-पेज (http://distance.dsvv.ac.in/how-to-apply/) पर निम्नलिखित वेब-लिंक पर (www.dsvv.ac.in/de/de-dsvv-admission-application-form-pdf) उपलब्ध कराई गई है। आवेदक को ध्यान से इस जानकारी को पढ़ना है तथा दिए गए निर्देशों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन करना है।

- प्रवेश प्रक्रिया के तीन चरण
- ऑनलाइन फॉर्म भरना ।
- ऑफलाइन फॉर्म मूल दस्तावेज का कक्षाओं के समय पर सत्यापन कराना है एवं (खण्ड- ख) विभागीय कॉपी डाक द्वारा भेजकर जमा करना हैं।
- पाठ्यक्रम शुल्क ऑनलाइन जमा होंगे।

<u>आवेदन प्रक्रिया का प्रथम चरण</u>

- उसे निम्नलिखित जानकारी इस ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में भरनी होगी: नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, जन्म स्थान, पाठ्यक्रम का नाम, राष्ट्रीयता, क्षेत्र, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, पता, दूरभाष, ईमेल, आदि।
- साथ ही उसे अपना वर्तमान समय का पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ एवं पूर्ण हस्ताक्षर स्कैन (scan) कर के इस ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में डालने (upload करने) होंगे। फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्पष्ट होने चाहिए अन्यथा वे मान्य नहीं होंगे।
- साथ ही उसे निम्नलिखित संलग्नकों की मूल प्रति की <u>स्व-सत्यापित</u> (पूर्ण हस्ताक्षर के द्वारा) छायाप्रति स्कैन (scan) कर के इस ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में डालनी (upload करनी) होगी: जन्म तिथि प्रमाणपत्र, 10 वीं कक्षा की अंकतालिका एवं 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण, 12 वीं कक्षा की अंकतालिका एवं 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण, आदि। प्रत्येक संलग्न छायाप्रति में उससे संबंधित मूल प्रति का सम्पूर्ण प्रतिबिम्ब उपलब्ध होना चाहिए - कोई भी हिस्सा/जानकारी कम पाए जाने अथवा कटा हुआ पाए जाने पर छायाप्रति मान्य नहीं होगी। प्रत्येक संलग्नक स्वच्छ एवं स्पष्ट होना चाहिए, एवं उसमें दी गई समस्त जानकारी साफ-साफ दिखाई देनी चाहिए। प्रत्येक संलग्नक स्व-सत्यापित (पूर्ण हस्ताक्षर के द्वारा) होना चाहिए। उपर्लिखित बिंदुओं के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कमी/त्रुटि पाए जाने की स्थिति में आवेदन प्रपत्र निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित होगा।
- आवेदक को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में दिए गए नियम, निर्देश एवं शपथ ध्यान से पढ़ने होंगे एवं उनका पालन करने हेतु स्वीकृति देनी होगी। दूरस्थ शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर निम्नलिखित वेब-पेज (http://distance.dsvv.ac.in/how-to-apply/) पर दिए गए आवेदन प्रपत्र एवं संबंधित नियम एवं निर्देश (www.dsvv.ac.in/de/de-dsvv-admission-application-form-pdf) (खण्ड-क एवं खण्ड-ख) भी आवेदक को ध्यान से पढ़ने होंगे एवं उनका पालन करने हेतु स्वीकृति देनी होगी। यह आवेदक की जिम्मेदारी है कि वह आवेदन प्रपत्र एवं समस्त संबंधित जानकारी को दूरस्थ शिक्षा केंद्र की वेबसाइट के इस वेब-लिंक से प्राप्त करे, एवं उसके अनुसार सुचारु रूप से आवेदन करे।
- तदुपरांत आवेदक को ऑनलाइन पेमेंट (online payment) के द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क (रु० 300/- + ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस) जमा करना होगा। यह आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
- आवेदक प्रपत्र खण्ड-ख में लास्ट पेज पर आवेदक का नाम हस्ताक्षर दिनाँक की मैंने उपर्लिखित समस्त जानकारी पढ़ ली है, इससे सहमत हूँ एवं इसका पालन करूँगा / करूँगी।
- प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि वेबसाइट पर निम्नलिखित वेब-लिंक (http://distance.dsvv.ac.in/how-to-apply/) पर दी गई है। यह आवेदक की जिम्मेदारी है कि वह इस निर्धारित अंतिम तिथि (सायं 5 बजे) तक ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र पूर्ण रूप से भर कर दूरस्थ शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर (ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के वेब-लिंक पर) ऑनलाइन माध्यम से जमा कर दे।

अंतिम तिथि के उपरांत ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि आगे बढ़ाने हेतु दिए गए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

- जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र एवं समस्त संलग्नकों की जाँच दूरस्थ शिक्षा केंद्र में की जाएगी। किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी पाए जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
- आवेदक को दूरस्थ शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर निम्नलिखित वेब-पेज (http://distance.dsvv.ac.in/how-to-apply/) पर निम्नलिखित वेब-लिंक से (www.dsvv.ac.in/de/de-dsvv-admission-application-form-pdf) आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर के प्रिंट करना होगा एवं भरना होगा; इस वेब-लिंक पर आवेदन प्रपत्र के साथ-साथ संबंधित नियम एवं निर्देश भी दिए गए हैं। यह आवेदक की जिम्मेदारी है कि वह आवेदन प्रपत्र एवं समस्त संबंधित जानकारी को दूरस्थ शिक्षा केंद्र की वेबसाइट के इस वेब-लिंक से प्राप्त करे, एवं उसके अनुसार सुचारु रूप से आवेदन करे।
- आवेदक को आवेदन प्रपत्र के समस्त पृष्ठों को ध्यान से पढ़ना है, तथा स्वच्छ एवं बड़े-बड़े अक्षरों में निर्देशानुसार भरना है। 'नाम' हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरने हैं।
- तदुपरांत आवेदक को इस भरे हुए आवेदन प्रपत्र, समस्त वांछित संलग्नकों की मूल-प्रति एवं उनकी स्व-सत्यापित छायाप्रति ले कर स्वयं दूरस्थ शिक्षा केंद्र, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार में उपस्थित होना होगा।
- वांछित प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ दूरस्थ शिक्षा केंद्र, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में दिखा कर, एवं दूरस्थ शिक्षा केंद्र के परीक्षा अनुभाग के सदस्य द्वारा इनकी स्व-सत्यापित छायाप्रतियों का सत्यापन करा कर (जिसके अंतर्गत परीक्षा अनुभाग के सदस्य को अपना नाम एवं दिनाँक इन पर लिखने होंगे, हस्ताक्षर करने होंगे, एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की सील लगानी होगी), ये सत्यापित छायाप्रतियाँ आवेदन प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होंगी।
- एक ए-4 साइज़ लिफाफा, (जिसमें आवेदन फ़ार्म आ जाये) जिस पर आवेदक का नाम एवं पूरा पता लिखा हो, आवेदन प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
- आवेदन प्रक्रिया के द्वितीय चरण के अंतर्गत आवेदन करने की तिथि दूरस्थ शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर निम्नलिखित वेब-पेज (http://distance.dsvv.ac.in/how-to-apply/) पर दी गई है। पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन प्रपत्र का खण्ड-ख, समस्त संलग्नकों के साथ, एक बड़े लिफाफे में रखकर (जिस पर दूरस्थ शिक्षा केंद्र का पता, आवेदक का पता, एवं 'दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन' लिखा हुआ हो), निर्धारित तिथि तक, दूरस्थ शिक्षा केंद्र में जमा हो जाना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
- जमा किए गए आवेदन प्रपत्र के खण्ड-ख एवं समस्त संलग्नकों की जाँच दूरस्थ शिक्षा केंद्र में की जाएगी। किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी पाए जाने, अथवा ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में भरी गई जानकारी से अंतर पाए जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
- तदुपरांत आवेदक को निर्धारित अंतिम तिथि तक (जिसकी जानकारी दूरस्थ शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर निम्नलिखित वेब-पेज (http://distance.dsvv.ac.in/how-to-apply/) पर दी गई है), वांछित पाठ्यक्रम का 'कुल शुल्क' (फीस) (ऊपर दी गई सूची के अनुसार) (जिसमें प्रवेश शुल्क, परामर्श शुल्क,

प्रायोगिक कक्षा शुल्क एवं परीक्षा शुल्क शामिल हैं), ऑनलाइन पेमेंट (online payment) के माध्यम से जमा करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट (online payment) करने हेतु वेब-लिंक निम्नलिखित वेब-पेज (http://distance.dsvv.ac.in/how-to-apply/) पर दिया जाएगा। यह शुल्क अन्य किसी भी माध्यम जैसे रोकड़ (कैश), आदि के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- [उदाहरणार्थ - व्यक्तित्व परिष्कार प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदक को रु० 3000/- का 'कुल शुल्क' (फीस) (जिसमें प्रवेश शुल्क रु० 2400/- एवं परीक्षा शुल्क रु० 600/- शामिल हैं) जमा करना होगा।]

पाठ्यक्रम का 'कुल शुल्क' जमा हो जाने के उपरांत पाठ्यक्रम में आवेदक का प्रवेश एवं पंजीयन कर दिया जाएगा। यह शुल्क जमा हो जाने, तथा पाठ्यक्रम में प्रवेश एवं पंजीयन हो जाने के उपरांत, यह शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

- प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (1. व्यक्तित्व परिष्कार, 2. परिवार प्रबंधन, 3. भारतीय संस्कृति, 4. योग प्रवेशिका, 5. स्वास्थ्य संरक्षण, 6. संस्कृत प्रवेशिका) में प्रवेश एवं पंजीयन होने के उपरांत, विद्यार्थी का पंजीयन, प्रवेश की तिथि से एक वर्ष तक मान्य (valid) रहेगा। स्नातकोत्तर डिप्लोमा योग विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश एवं पंजीयन होने के उपरांत, विद्यार्थी का पंजीयन, प्रवेश की तिथि से दो वर्ष तक मान्य (valid) रहेगा। इस पंजीयन अवधि में विद्यार्थी से अध्ययन हेतु अन्य कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। पंजीयन अवधि के पूर्ण होने के उपरांत पाठ्यक्रम में विद्यार्थी का पंजीयन स्वत: निरस्त हो जाएगा; किसी भी प्रकार से पंजीयन अवधि को बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- पाठ्यक्रम में प्रवेश एवं पंजीयन हो जाने के उपरांत, विद्यार्थियों को स्वशिक्षण लिखित सामग्री अध्ययन हेतु दी जाएगी, एवं इस आवेदन प्रपत्र में दिए गए अस्थाई परिचय पत्र की एक प्रति दूरस्थ शिक्षा केंद्र प्रतिनिधि के नाम एवं हस्ताक्षर के साथ सील लगाकर दी जाएगी। बाद में दूरस्थ शिक्षा केंद्र द्वारा एक स्थाई परिचय पत्र भी विद्यार्थियों को दिया जाएगा।
- <u>एक समय में एक ही पाठ्यक्रम</u> :- आवेदक एक सत्र में केवल एक पाठ्यक्रम में ही प्रवेश प्राप्त कर सकता है। जब तक एक पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो जाता तब तक दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया जा सकता है। इस नियम का पालन आवेदक की जिम्मेदारी है। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि आवेदक एक साथ एक से अधिक पाठ्यक्रमों में पंजीकृत है, तो जो पंजीयन बाद में हुआ है उसे निरस्त करने एवं अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित है। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का शुल्क भी वापस नहीं किया जाएगा।
- दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न नियमों का निर्धारण करने एवं आवश्यकतानुसार इनमें परिवर्तन करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित है। यदि कोई आवेदक अथवा विद्यार्थी इन नियमों का उल्लंघन करता है, अथवा इनमें परिवर्तन करने हेतु जोर देता है, तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा, एवं ऐसी स्थिति में आवेदक अथवा विद्यार्थी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।
- पाठ्यक्रमों हेतु अन्य जानकारी एवं प्रवेश संबंधी समस्त जानकारी दूरस्थ शिक्षा केंद्र की वेबसाइट (http://distance.dsvv.ac.in/) पर उपलब्ध है। आवश्यकतानुसार समय-समय पर इस जानकारी एवं

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित है। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न नियमों में परिवर्तन करेगा तो इसकी सूचना दूरस्थ शिक्षा केंद्र द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। यह आवेदकों एवं पंजीकृत विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट से इन जानकारियों को प्राप्त करते रहें एवं इनका पालन करें।

सम्पर्क सूत्र:

दूरस्थ शिक्षा केंद्र ,देव संस्कृति विश्वविद्यालय, गायत्रीकुंज-शांतिकुंज,
हरिद्वार – 249411 (उत्तराखण्ड),
दूरभाष : 91-9258369748, ईमेल : distance@dsvv.ac.in
वेबसाइट : http://distance.dsvv.ac.in/

आवेदन प्रक्रिया के द्वितीय चरण के अंतर्गत, चयनित आवेदकों को आवेदन प्रपत्र का खण्ड–ख भरकर, वांछित संलग्नकों के साथ जमा करना है

आवेदन प्रपत्र के खण्ड–ख के साथ लगाए जाने वाले संलग्नकों की सूची

(साथ में लगाए गए संलग्नकों पर सही का चिह्न लगाएँ)

- सचित्र पहचान पत्र की दूरस्थ शिक्षा केंद्र के परीक्षा अनुभाग के सदस्य द्वारा सत्यापित छायाप्रति
- 10 वीं कक्षा के अंकपत्र एवं उत्तीर्ण करने के प्रमाण की दूरस्थ शिक्षा केंद्र के परीक्षा अनुभाग के सदस्य द्वारा सत्यापित छायाप्रति
- 12 वीं कक्षा के अंकपत्र एवं उत्तीर्ण करने के प्रमाण की दूरस्थ शिक्षा केंद्र के परीक्षा अनुभाग के सदस्य द्वारा सत्यापित छायाप्रति
- स्नातक उपाधि के अंकपत्र एवं उत्तीर्ण करने के प्रमाण की दूरस्थ शिक्षा केंद्र के परीक्षा अनुभाग के सदस्य द्वारा सत्यापित छायाप्रति (प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने हेतु स्नातक उपाधि के अंकपत्र एवं उत्तीर्ण करने के प्रमाण संलग्न नहीं करने हैं)
- आधार कार्ड की छायाप्रति।
- एक ए-4 साइज़ लिफाफा, जिस पर आवेदक का नाम एवं पूरा पता लिखा हो।

कुछ अन्य ध्यान रखने योग्य तथ्य

- ✓ आवेदन प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र से प्राप्त 'Attendee ID' भर दिया गया है (उदाहरणार्थ – EAR1674069)

शैक्षिक योग्यता सम्बधित जानकारी :-

10 वीं, 12 वीं एवं स्नातक उपाधि के अंकपत्रों एवं उत्तीर्ण करने के प्रमाण की मूल प्रतियाँ दूरस्थ शिक्षा केंद्र में दिखा कर, एवं दूरस्थ शिक्षा केंद्र के परीक्षा अनुभाग के सदस्य द्वारा इनकी स्व-सत्यापित छायाप्रतियों का सत्यापन करा कर [जिसके अंतर्गत परीक्षा अनुभाग के सदस्य को अपना नाम एवं दिनाँक इन पर लिखने होंगे, हस्ताक्षर करने होंगे, एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की सील लगानी होगी], ये सत्यापित छायाप्रतियाँ संलग्न करें , प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने हेतु स्नातक उपाधि के अंकपत्र एवं उत्तीर्ण करने के प्रमाण संलग्न नहीं करने हैं ।

<u>आवेदको को यह घोषणा करना हैं :-</u>

मैं शपथपूर्वक यह प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपर्युक्त सभी कथन एवं जानकारी सत्य हैं। जब तक मैं इस विश्वविद्यालय का / की विद्यार्थी रहूँगा / रहूँगी, तब तक मैं किसी भी अन्य ऐसे पाठ्यक्रम में भागीदारी नहीं करूँगा / करूँगी जिससे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए नियमों का उल्लंघन होता हो। यदि मैं ऐसी अवहेलना करता / करती हूँ तो मुझे ज्ञात है कि मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय की आचार संहिता एवं समस्त नियमों का पालन करूँगा / करूँगी। मैं सहमत हूँ कि मेरे द्वारा किसी भी अनुशासनहीनता की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय सर्वोपरि एवं सर्वमान्य होगा।

मैं आश्वासन देता / देती हूँ कि इस पाठ्यक्रम हेतु अपनी पात्रता को सिद्ध करने के लिए मैं समस्त आवश्यक मूल अंकतालिकाएँ एवं प्रमाणपत्र प्रस्तुत करूँगा / करूँगी, एवं समस्त आवश्यक प्रमाणपत्रों की सत्यापित छायाप्रतियाँ (दूरस्थ शिक्षा केंद्र के परीक्षा अनुभाग में मूल प्रतियाँ दिखा कर, परीक्षा अनुभाग के कार्यकर्त्ता से सत्यापित कराई गई) समय से जमा करूँगा / करूँगी; ऐसा न कर पाने की स्थिति में उसके परिणामों के लिए मैं पूर्णत: जिम्मेदार होऊँगा / होऊँगी। यदि मैं त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रदान करता / करती हूँ, अथवा आवश्यक जानकारी को छिपाता / छिपाती हूँ तो प्रवेश पाने के बाद भी मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

मैंने इस आवेदन प्रपत्र के खण्ड-क में दिए गए समस्त नियम एवं निर्देश पढ़ लिए हैं, इनसे सहमत हूँ एवं इनका पालन निष्ठापूर्वक करूँगा/ करूँगी।

<u>आवेदकों एवं विद्यार्थियों के लिए नियम</u>

- किसी भी प्रकार की छोटी गलती (minor offense) पर दण्ड देने का अधिकार निदेशक, दूरस्थ शिक्षा केंद्र को होगा।
- विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थी परिचय-पत्र लगाकर रखेंगे। परिचय-पत्र न होने पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है जैसे आर्थिक दण्ड, आदि।
- विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय परिसर, कक्षाओं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों एवं शांतिकुंज में निर्धारित वेशभूषा (Dress) में रहना अनिवार्य है (पुरुषों के लिए धोती-कुर्ता या पजामा-कुर्ता निर्धारित है, एवं स्त्रियों के लिए साड़ी या सलवार-कुर्ता निर्धारित है)। योग की प्रायोगिक कक्षा में ट्रैक सूट (Track Suit) पहनना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर परीक्षाओं में बैठने को नहीं मिलेगा एवं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अन्य प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है जैसे आर्थिक दण्ड, आदि।
- विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को किसी प्रकार की हानि पहुँचाने पर सम्पत्ति मूल्य की व्यक्तिगत अथवा सामूहिक वसूली की जा सकती है, एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- किसी भी नियम का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जाएगा, जिसके लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा।
- यदि कोई आवेदक या विद्यार्थी, विश्वविद्यालय परिसर में, अथवा विश्वविद्यालय के किसी कार्यकर्त्ता से व्यक्तिगत रूप से, फोन, ईमेल, आदि पर, कोई अशोभनीय अथवा अभद्र व्यवहार करता है तो उसके विरुद्ध

अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित होगा; इसके अंतर्गत उसका आवेदन / प्रवेश निरस्त भी किया जा सकता है।

- दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम हेतु निर्धारित नियमों, तिथियों, आदि में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित है। आवेदकों एवं विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से इन नियमों का पालन करना होगा। यदि कोई आवेदक या विद्यार्थी किसी नियम में परिवर्तन हेतु जोर देता है तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा, एवं ऐसी स्थिति में आवेदक या विद्यार्थी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा; इसके अंतर्गत उसका आवेदन / प्रवेश निरस्त भी किया जा सकता है।
- नोट: विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्य महत्त्वपूर्ण नियमों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। सम्पूर्ण अध्ययनकाल के दौरान विद्यार्थी को सभी जगह (परीक्षा प्रपत्र, सत्रीय कार्य जमा पत्रक, परियोजना कार्य जमा पत्रक, अन्य आवेदन, परीक्षाएँ, आदि में) यही हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। हस्ताक्षर में भिन्नता पाए जाने पर किसी भी प्रपत्र, आवेदन, परीक्षाओं में उपस्थिति, आदि को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है, एवं इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी।

पाठ्यक्रमों का विस्तृत विवरण

1. व्यक्तित्व परिष्कार

(प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; पाठ्यक्रम कोड 01; पात्रता 12 वीं; अवधि 6 माह; आयु सीमा 50 वर्ष)
(वांछित शैक्षिक प्रमाणपत्र: 10 वीं एवं 12 वीं कक्षा के अंकपत्र एवं उत्तीर्ण करने के प्रमाण)

इस पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को रचनात्मक एवं विधेयात्मक जीवन की दिशा प्रदान करना है। इसमें प्रतिभागियों को यह बोध कराया जाता है कि व्यक्तित्व निर्माण में विचारों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी जैसे शाश्वत् तत्वों का जीवन में समावेश कर के व्यक्तित्व को परिष्कृत किया जा सकता है और स्थाई सफलता प्राप्त की जा सकती है। आज के भौतिकवादी जीवन में यह पाठ्यक्रम जीवन प्रबन्धन में सहायक सिद्ध होगा।

प्रश्नपत्र संख्या	विषय	प्रश्नपत्र कोड	सत्रीय कार्य अंक	सत्रांत परीक्षा अंक
प्रथम	रचनात्मक जीवन की कला	0101	20	80
द्वितीय	मानव जीवन की विकृतियाँ: निदान एवं समाधान	0102	20	80
तृतीय	आध्यात्मिक जीवन	0103	20	80
चतुर्थ	परियोजना कार्य	0104	-	100

2. परिवार प्रबंधन

(प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; पाठ्यक्रम कोड 02; पात्रता 12 वीं; अवधि 6 माह; आयु सीमा 50 वर्ष)
(वांछित शैक्षिक प्रमाणपत्र: 10 वीं एवं 12 वीं कक्षा के अंकपत्र एवं उत्तीर्ण करने के प्रमाण)

समाज की मूल ईकाई परिवार है। पारिवारिक सामंजस्य, नारी जागरण तथा बच्चों का समग्र विकास समाज को दृढ़ता प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में पारिवारिक विघटन के कारण विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। आज की आवश्यकता यह है कि परिवार संस्था को सुदृढ़ किया जाए तथा जनमानस को इस हेतु शिक्षित किया जाए। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को परिवार प्रबंधन तथा उसके माध्यम से अपने व्यक्तित्व के बहुआयामी विकास की सम्भावनाओं के प्रति जागरूक करता है।

प्रश्नपत्र संख्या	विषय	प्रश्नपत्र कोड	सत्रीय कार्य अंक	सत्रांत परीक्षा अंक
प्रथम	परिवार निर्माण	0201	20	80
द्वितीय	भारतीय नारी	0202	20	80
तृतीय	बाल निर्माण	0203	20	80
चतुर्थ	परियोजना कार्य	0204	-	100

3. भारतीय संस्कृति

(प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; पाठ्यक्रम कोड 03; पात्रता 12 वीं; अवधि 6 माह; आयु सीमा 50 वर्ष)
(वांछित शैक्षिक प्रमाणपत्र: 10 वीं एवं 12 वीं कक्षा के अंकपत्र एवं उत्तीर्ण करने के प्रमाण)

'सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा' की उक्ति यह सिद्ध करती है कि भारतीय संस्कृति ही विश्व की सर्वप्रथम संस्कृति है। इस संस्कृति की विशेषता यह है कि यह आध्यात्मिक जीवन की ओर मनुष्य को प्रेरित करती है तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की दिशा निर्धारित करती है। वर्तमान समय की विभिन्न समस्याओं के समाधान इस संस्कृति में निहित हैं। यह पाठ्यक्रम भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों की जानकारी तथा इसके विश्वव्यापी विस्तार एवं योगदान के महत्व को समझाता है।

प्रश्नपत्र संख्या	विषय	प्रश्नपत्र कोड	सत्रीय कार्य अंक	सत्रांत परीक्षा अंक
प्रथम	भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्त्व	0301	20	80
द्वितीय	भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी विस्तार	0302	20	80
तृतीय	तीर्थ के विविध आयाम	0303	20	80
चतुर्थ	परियोजना कार्य	0304	-	100

4. योग प्रवेशिका

(प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; पाठ्यक्रम कोड 04; पात्रता 12 वीं; अवधि 6 माह; आयु सीमा 50 वर्ष)

(वांछित शैक्षिक प्रमाणपत्र: 10 वीं एवं 12 वीं कक्षा के अंकपत्र एवं उत्तीर्ण करने के प्रमाण)

योग व्यक्ति, परिवार एवं सामाजिक समुदाय के स्वस्थ, सुखी व समुन्नत जीवन का रहस्य है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह प्रमाणित हो चुका है कि योग जीवन के सभी पहलुओं को स्वस्थ एवं सुविकसित कर सकता है। यह पाठ्यक्रम योग के आधारभूत तत्वों, इसके द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक प्रसन्नता की प्राप्ति, एवं योग आधारित चिकित्सा की विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा।

प्रश्नपत्र संख्या	विषय	प्रश्नपत्र कोड	सत्रीय कार्य अंक	सत्रांत परीक्षा अंक
प्रथम	योग परिचय	0401	20	80
द्वितीय	हठयोग	0402	20	80
तृतीय	योग एवं स्वास्थ्य	0403	20	80
चतुर्थ	परियोजना कार्य	0404	-	100
पंचम	प्रायोगिक कार्य	0405	-	100

5. स्वास्थ्य संरक्षण

(प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; पाठ्यक्रम कोड 05; पात्रता 12 वीं; अवधि 6 माह; आयु सीमा 50 वर्ष)

(वांछित शैक्षिक प्रमाणपत्र: 10 वीं एवं 12 वीं कक्षा के अंकपत्र एवं उत्तीर्ण करने के प्रमाण)

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य समग्र स्वास्थ्य (शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक) के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करना है, जिससे कि वे अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुए अपने श्रेष्ठ लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, यज्ञोपैथी (यज्ञ द्वारा चिकित्सा), एवं अन्य पूरक एवं पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति प्रदत्त वनस्पतियों, जड़ी-बूटियों एवं घरेलू मसालों का औषधीय उपयोग कर के रोग निवारण कर सकते हैं।

प्रश्नपत्र संख्या	विषय	प्रश्नपत्र कोड	सत्रीय कार्य अंक	सत्रांत परीक्षा अंक
प्रथम	स्वास्थ्य प्रबंधन	0501	20	80
द्वितीय	शरीर संरचना एवं वैकल्पिक उपचार विधियाँ	0502	20	80
तृतीय	वानस्पतिक द्रव्यों का औषधीय उपयोग	0503	20	80
चतुर्थ	परियोजना कार्य	0504	-	100
पंचम	प्रायोगिक कार्य	0505	-	100

6. योग विज्ञान

(स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम; पाठ्यक्रम कोड 06; पात्रता स्नातक; अवधि 1 वर्ष; आयु सीमा 50 वर्ष)

(वांछित शैक्षिक प्रमाणपत्र: 10 वीं, 12 वीं एवं स्नातक कक्षा के अंकपत्र एवं उत्तीर्ण करने के प्रमाण)

असंतुलित दिनचर्या एवं अकर्मण्य जीवनशैली से उपजी विभिन्न शारीरिक मानसिक व्याधियाँ मानव जीवन के अस्तित्व के लिए संकट बन गई हैं। इस स्थिति के निवरण के लिए योग एक सशक्त माध्यम है। योग प्राचीन ऋषियों के अनुभवी जीवन का सार है। यह एक गुह्य साधना पद्धति होने के साथ-साथ एक उच्च कोटि का व्यावहारिक विज्ञान भी है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से योग के मूलभूत तत्वों के साथ-साथ समकालीन योगियों के ज्ञान को जानने का अवसर मिलेगा। योग के वैज्ञानिक पक्ष की जानकारी एवं एक सफल चिकित्सा पद्धति के रूप में इसके उपयोग का ज्ञान प्राप्त होगा। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी खुद को एक कुशल योग प्रशिक्षक के रूप में तैयार कर सकता है।

प्रश्नपत्र संख्या	विषय (प्रथम सत्र)	प्रश्नपत्र कोड	सत्रीय कार्य अंक	सत्रांत परीक्षा अंक
प्रथम	योग के आधारभूत तत्त्व	0601	20	80
द्वितीय	हठयोग परिचय	0602	20	80
तृतीय	शरीर विज्ञान	0603	20	80
चतुर्थ	वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ	0604	20	80
पंचम	प्रायोगिक कार्य	0605	-	100

प्रश्नपत्र संख्या	विषय (द्वितीय सत्र)	प्रश्नपत्र कोड	सत्रीय कार्य अंक	सत्रांत परीक्षा अंक
प्रथम	योग सूत्र का परिचयात्मक अध्ययन	0606	20	80
द्वितीय	योग एवं स्वप्रबंधन	0607	20	80
तृतीय	स्वस्थवृत्त एवं आहार चिकित्सा	0608	20	80
चतुर्थ	प्रायोगिक कार्य	0609	-	100
पंचम	परियोजना कार्य	0610	-	100

7. संस्कृत प्रवेशिका

(प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; पाठ्यक्रम कोड 07; पात्रता 12 वीं; अवधि 6 माह; आयु सीमा 50 वर्ष)
(वांछित शैक्षिक प्रमाणपत्र: 10 वीं एवं 12 वीं कक्षा के अंकपत्र एवं उत्तीर्ण करने के प्रमाण)

इस पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को विश्व की प्राचीनतम, अत्यन्त समृद्ध, पूर्ण वैज्ञानिक एवं भारतीय संस्कृति की आधारभूत संस्कृत भाषा का सम्यक् एवं साङ्गोपाङ्ग ज्ञान प्रदान करना है। इसी क्रम में इस पाठ्यक्रम में प्रश्नपत्रों का विभाजन व्याकरण, श्रुतिसुधा, सूक्तिसुधा एवं चरितसुधा में किया गया है। वास्तविकता यह है कि आज राष्ट्रीय एकता, आर्थिक विषमता, अनुशासन-प्रशासन, शिक्षा-दीक्षा से सम्बद्ध सभी समस्याओं का समाधान संस्कृत भाषा में निहित है। विश्व कल्याण की कामना से वैदिक संस्कृति अनुप्राणित है - “सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:”।

प्रश्नपत्र संख्या	विषय	प्रश्नपत्र कोड	सत्रीय कार्य अंक	सत्रांत परीक्षा अंक
प्रथम	व्याकरणम्	0701	20	80
द्वितीय	सुधासंग्रह:	0702	20	80
तृतीय	महापुरुषाणां चरितम्	0703	20	80
चतुर्थ	परियोजना कार्य	0704	-	100

पाठ्यक्रमों संबंधी अन्य नियम एवं निर्देश

परामर्श कक्षाएँ

- योग प्रवेशिका,स्वास्थ्य संरक्षण,योग विज्ञान पाठ्यक्रम हेतु परामर्श कक्षाओं का आयोजन देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में किया जाएगा।
- परामर्श कक्षाओं में सैद्धांतिक विषयों हेतु परामर्श दिया जाएगा।
- प्रत्येक सत्र में प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र हेतु 16 घंटे की परामर्श कक्षाएँ रविवार/ अवकाश वाले दिनों में आयोजित की जाएँगी।
- स्वास्थ्य संरक्षण प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम परामर्श कक्षाओं हेतु 10 दिनों की विशेष कक्षाएँ में आयोजित की जाएँगी।
- संस्कृति प्रवेशिका प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम परामर्श कक्षाओं हेतु 10 दिनों की विशेष कक्षाएँ में आयोजित की जाएँगी।
- परामर्श कक्षाओं की तिथियों का निर्धारण दूरस्थ शिक्षा केंद्र द्वारा पाठ्यक्रम समन्वयकों से चर्चा के उपरांत किया जाएगा, एवं इनकी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- परामर्श कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है।
- परामर्श कक्षाओं हेतु अलग से कोई शुल्क नहीं देना होगा।

प्रायोगिक कक्षाएँ

- प्रायोगिक कक्षाओं का आयोजन देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में किया जाएगा।
- योग प्रवेशिका प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य संरक्षण प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा योग विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रयोगात्मक कार्य का समावेश है। इसके लिए प्रत्येक सत्र में योग प्रवेशिका प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा योग विज्ञान पाठ्यक्रम (प्रथम एवं द्वितीय सत्र) हेतु 10 दिन की प्रायोगिक कक्षाएँ, एवं, स्वास्थ्य संरक्षण प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम हेतु 10 दिन की प्रायोगिक कक्षाएँ आयोजित की जाएँगी।
- प्रायोगिक कक्षाओं की तिथियों का निर्धारण दूरस्थ शिक्षा केंद्र द्वारा पाठ्यक्रम समन्वयकों से चर्चा के उपरांत किया जाएगा, एवं इनकी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- प्रत्येक प्रायोगिक कक्षा की अवधि 1:15 घंटे होगी।
- प्रायोगिक कक्षाएँ रविवार/ अवकाश वाले दिनों में आयोजित की जाएँगी।
- प्रायोगिक कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति 80 प्रतिशत अनिवार्य है। अन्यथा वह प्रायोगिक परीक्षा से वंचित हो जाएगा । जिसका जिम्मेदारी आवेदक स्वंम की होगी ।
- प्रायोगिक कक्षाओं हेतु अलग से कोई शुल्क नहीं देना होगा।
- स्नातकोत्तर डिप्लोमा योग विज्ञान पाठ्यक्रम के प्रथम सत्र में (जिस सत्र में प्रवेश लिया गया है) सिर्फ प्रथम सत्र की प्रायोगिक कक्षाओं में ही भागीदारी की जा सकती है। द्वितीय सत्र एवं उसके उपरांत,

प्रथम एवं द्वितीय दोनों सत्रों की प्रायोगिक कक्षाओं में भागीदारी की जा सकती है; किंतु पहले प्रथम सत्र की प्रायोगिक कक्षाओं में ही भागीदारी की जानी चाहिए।

- प्रायोगिक कक्षा के संसाधन विद्यार्थियों को अपने खर्च पर जुटाने होंगे।
- योग की प्रायोगिक कक्षाओं में ट्रैक सूट (Track Suit) पहन कर आना अनिवार्य है। विद्यार्थी को ट्रैक सूट का प्रबन्ध स्वयं करना होगा; ट्रैक सूट उपलब्ध कराना विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी।
- प्रायोगिक कक्षाओं में यौगिक एवं अन्य अभ्यासों में भाग लेना अनिवार्य है।
- प्रायोगिक कक्षा के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया स्थाई परिचय पत्र लगाना अनिवार्य है।
- प्रायोगिक कक्षा के दौरान विद्यार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करने की स्थिति में, उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।
- किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह के लिए अलग से विशेष कक्षाएँ आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथियों में ही परामर्श एवं प्रायोगिक कक्षाओं में भागीदारी करनी होगी।
- जब-जब प्रायोगिक कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, तब उनके समाप्त होने के तुरंत बाद उन कक्षाओं से संबंधित प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।
- प्रायोगिक परीक्षा में भागीदारी करने के लिए परीक्षा प्रपत्र में प्रायोगिक परीक्षा एवं उसका प्रश्नपत्र कोड भरना अनिवार्य है; ऐसा न करने की स्थिति में विद्यार्थी प्रायोगिक परीक्षा में भागीदारी नहीं कर पाएगा एवं प्रायोगिक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण माना जाएगा।
- स्नातकोत्तर डिप्लोमा योग विज्ञान पाठ्यक्रम के प्रथम सत्र में (जिस सत्र में प्रवेश लिया गया है) सिर्फ प्रथम सत्र की प्रायोगिक परीक्षा में ही भागीदारी की जा सकती है। द्वितीय सत्र एवं उसके उपरांत, प्रथम एवं द्वितीय दोनों सत्रों की प्रायोगिक परीक्षा में भागीदारी की जा सकती है; किंतु पहले प्रथम सत्र की प्रायोगिक परीक्षा में ही भागीदारी की जानी चाहिए।
- प्रायोगिक परीक्षा का विभाजन निम्नलिखित दो हिस्सों में होगा: (1) प्रायोगिक खण्ड- 70 अंक, (2) मौखिक खण्ड- 30 अंक
- प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को 40% अंक (प्रायोगिक एवं मौखिक खण्डों को जोड़कर) प्राप्त करना आवश्यक है।
- एक बार किसी प्रायोगिक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने के उपरांत दोबारा उस प्रायोगिक प्रश्नपत्र की कक्षाओं एवं परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति विद्यार्थी को नहीं दी जाएगी।
- यदि विद्यार्थी प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, एवं अगले किसी सत्र में प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित होना चाहता है, तो उसे पुन: उस सत्र के परीक्षा प्रपत्र में प्रायोगिक परीक्षा एवं उसका प्रश्नपत्र कोड भरना होगा, एवं उपर्लिखित नियमों के अनुसार प्रायोगिक परीक्षा देनी होगी।
- प्रायोगिक कक्षाओं एवं संबंधित अभ्यासों के बारे में अन्य जानकारी दूरस्थ शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर उपलब्ध है; विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे वेबसाइट से इस जानकारी को प्राप्त करें।

<u>जीवन प्रबंधन की कक्षाएँ</u>

- देव संस्कृति विश्वविद्यालय साधारण शिक्षण संस्थानों से भिन्न है। यह विद्यार्थियों के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु संकल्पित है। अत:, विद्यार्थियों के लिए जीवन प्रबंधन की विशेष कक्षाएँ, परामर्श कक्षाओं के साथ आयोजित की जाती हैं।

<u>मूल्यांकन पद्धति</u>

- दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में सौद्धांतिक प्रश्नपत्रों हेतु द्विस्तरीय मूल्यांकन पद्धति है:
  1. सत्रीय कार्य 2. सत्रांत परीक्षा
- प्रायोगिक प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन प्रायोगिक परीक्षा में किया जाएगा।
- परियोजना कार्य का मूल्यांकन विषय विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा।

<u>सत्रीय कार्य</u>

- प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र हेतु एक सत्रीय कार्य (Assignment) बना कर जमा करना होगा।
- सत्रीय कार्य के अंतर्गत हल किए जाने वाले प्रश्न वेबसाइट पर दिए जाएंगे। यह विद्यार्थियों की जिम्मेदारी होगी कि वे वेबसाइट से सत्रीय कार्यों के प्रश्नों को प्राप्त करें।
- प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में प्रत्येक प्रश्नपत्र के सत्रीय कार्य में 10 प्रश्न होंगे। विद्यार्थी को इन दसों प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। प्रत्येक उत्तर लगभग 250 शब्दों का होना चाहिए। समस्त प्रश्न समान अंकों के होंगे।
- स्नातकोत्तर डिप्लोमा योग विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रत्येक प्रश्नपत्र के सत्रीय कार्य में 4 प्रश्न होंगे। विद्यार्थी को इन चारों प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। प्रत्येक उत्तर लगभग 400 शब्दों का होना चाहिए। समस्त प्रश्न समान अंकों के होंगे।
- सत्रीय कार्य लिखने के लिए ए-4 साइज़ सादे सफेद कागजों का प्रयोग करना आवश्यक है।
- सत्रीय कार्य के ऊपर प्लास्टिक का फाइल कवर नहीं लगाना है।
- सत्रीय कार्य सिर्फ स्वलिखित (अपनी हस्तलिपि में) ही होना चाहिए। कम्प्यूटर द्वारा टाइप किया गया सत्रीय कार्य अथवा अन्य किसी प्रकार से तैयार किया गया सत्रीय कार्य निरस्त कर दिया जाएगा।
- यदि यह पाया जाता है कि सत्रीय कार्य में एक दूसरे की नकल की गई है तो ऐसे समस्त सत्रीय कार्य निरस्त कर दिए जाएंगे।
- विद्यार्थी प्रत्येक सौद्धांतिक प्रश्नपत्र के लिए एक सत्र में सिर्फ एक बार ही सत्रीय कार्य जमा कर सकता है। यदि विद्यार्थी एक से अधिक बार सत्रीय कार्य जमा करता है तो सबसे पहले जमा किया गया सत्रीय कार्य ही मान्य होगा।
- प्रत्येक प्रश्नपत्र का सत्रीय कार्य अलग से बना कर जमा करना होगा। यदि विभिन्न प्रश्नपत्रों के सत्रीय कार्यों के प्रश्नों के उत्तर एक-के-बाद-एक लगातार लिख दिए गए हैं, तो ऐसे सत्रीय कार्यों को निरस्त कर दिया जाएगा।
- प्रत्येक प्रश्नपत्र के सत्रीय कार्य के ऊपर फॉर्म क्रमांक 1 लगाना अनिवार्य है (यह फॉर्म वेबसाइट पर दिया गया है)। फॉर्म क्रमांक 1 में अन्य जानकारी के साथ-साथ उस प्रश्नपत्र का नाम एवं कोड भरे होने चाहिए जिसका यह सत्रीय कार्य है। फॉर्म क्रमांक 1 पर विद्यार्थी का वही हस्ताक्षर होना चाहिए जो

उसने पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय दिया था। यदि किसी सत्रीय कार्य के ऊपर फॉर्म क्रमांक 1 नहीं लगा होगा या उसमें वांछित समस्त जानकारी नहीं भरी गई होगी तो उस सत्रीय कार्य को निरस्त कर दिया जाएगा।

- सत्रीय कार्य को रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा स्वयं आकर दूरस्थ शिक्षा केंद्र में जमा कराना होगा।
- प्रत्येक सत्र में सत्रीय कार्य जमा कराने की अंतिम तिथि दूरस्थ शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित की जाएगी एवं दूरस्थ शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि वे इस जानकारी को वेबसाइट से प्राप्त कर के अंतिम तिथि तक दूरस्थ शिक्षा केंद्र में सत्रीय कार्य जमा करें। अंतिम तिथि तक सत्रीय कार्य दूरस्थ शिक्षा केंद्र में जमा करना अनिवार्य है। अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त सत्रीय कार्य निरस्त कर दिया जाएगा। अंतिम तिथि आगे बढ़ाने हेतु दिए गए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी अंतिम तिथि आगे बढ़ाने हेतु अनावश्यक रूप से जोर देता है तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा, एवं ऐसी स्थिति में विद्यार्थी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।
- किसी सैद्धांतिक प्रश्नपत्र का सत्रीय कार्य जमा न करने की स्थिति में, उस सत्र में, विद्यार्थी को उस प्रश्नपत्र की सत्रांत परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संदर्भ में दिए गए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में छूट उसी स्थिति में होगी जब कि किसी पूर्व सत्र में उस प्रश्नपत्र का सत्रीय कार्य जमा किया जा चुका हो, एवं उस सत्र में उस सत्रीय कार्य में उत्तीर्ण होने हेतु वांछित 40% अंक प्राप्त कर लिए गए हों।
- प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र हेतु सत्रीय कार्य 20 अंकों का निर्धारित किया गया है। यह उस प्रश्नपत्र के पूर्णांक (100 अंक) का 20% है।
- विद्यार्थी को प्रत्येक सत्रीय कार्य में उत्तीर्ण होने हेतु 40 प्रतिशत अंक (8 अंक) प्राप्त करना अनिवार्य है।

<u>परियोजना कार्य</u>

- समस्त पाठ्यक्रमों में एक प्रश्नपत्र परियोजना कार्य का है।
- परियोजना कार्य शोध का आरंभिक चरण है। यह विद्यार्थी की विश्लेषणात्मक क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल की परीक्षा है। अभिव्यक्ति क्षमता और विचारों के आधार पर परियोजना कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा।
- परियोजना कार्य के प्रारूप के अंतर्गत निम्नलिखित खण्ड होने चाहिए: (1) अनुक्रमणिका/ विषय सूची; (2) अध्याय 1 – आवश्यकता; (3) अध्याय 2 – प्रस्तावना - परिभाषा; (4) अध्याय 3 – प्रकार; (5) अध्याय 4 – महत्व; (6) अध्याय 5 - लाभ/ फायदा; (7) अध्याय 6 – सावधानियाँ; (8) अध्याय 7 – परिणाम; (9) उपसंहार/ निष्कर्ष; (10) संदर्भ ग्रंथ सूची
- परियोजना कार्य का प्रारूप प्रयोगात्मक अथवा सैद्धान्तिक होना चाहिए।
- परियोजना कार्य 5000 से 6000 शब्दों का होना चाहिए। यह स्वलिखित अथवा टाइप किया जा सकता है। परियोजना कार्य के ऊपर प्लास्टिक की फाइल नहीं लगानी है।
- हिंदी या अंग्रेजी, दोनों में से किसी एक भाषा में परियोजना कार्य लिखा जाना चाहिए।

- परियोजना कार्य मौलिक और स्वयं की भाषा में होना चाहिए। किसी दूसरे की प्रकाशित या अप्रकाशित परियोजना की नकल नहीं करनी है; ऐसा पाए जाने पर परियोजना कार्य निरस्त कर दिया जाएगा।
- प्रत्येक खण्ड के अंत में, और सारांश/निष्कर्ष में अपने तर्कों को संक्षेप में प्रस्तुत करना है और उन्हें तर्कसंगत परिणति देनी है।
- किसी पुस्तक, आलेख आदि से नकल करना पूर्णत: वर्जित है। उद्धरण अवश्य प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना है:

(क) प्रासंगिक उद्धरण लेखक की भाषा में उद्धृत होना चाहिए।

(ख) उद्धरण के अंत में कोष्ठक में लेखक और पुस्तक का नाम, प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन स्थान और पृष्ठ संख्या लिखनी है।

(ग) यदि किसी पत्रिका से उद्धरण लिया गया है तो पत्रिका का नाम, अंक और प्रकाशन माह/ वर्ष का उल्लेख करना है।

(घ) लंबे उद्धरण नहीं देने हैं। 50 से 100 शब्दों के बीच का उद्धरण उपयुक्त होता है।

- स्रोतों का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। संदर्भ ग्रंथ सूची प्रचलित शोध मानकों के अनुसार तैयार करनी है।
- परियोजना कार्य की रिपोर्ट तैयार करने से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में जिस सत्र में प्रवेश लिया गया है उसी सत्र में परियोजना कार्य जमा किया जा सकता है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा योग विज्ञान पाठ्यक्रम में परियोजना कार्य द्वितीय सत्र का प्रश्नपत्र है, अत: इसे प्रथम सत्र में जमा नहीं किया जा सकता है।
- जिस सत्र में परियोजना कार्य जमा किया जा रहा है, उस सत्र के परीक्षा प्रपत्र में परियोजना कार्य का उल्लेख करना आवश्यक होगा; यदि परीक्षा प्रपत्र में परियोजना कार्य का उल्लेख नहीं किया जाएगा तो उस सत्र में जमा किया हुआ परियोजना कार्य निरस्त कर दिया जाएगा।
- परियोजना कार्य 100 अंकों का निर्धारित किया गया है। परियोजना कार्य में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
- एक बार परियोजना कार्य में उत्तीर्ण होने के उपरांत दोबारा परियोजना कार्य स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- परियोजना कार्य में अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में, फिर से परीक्षा प्रपत्र के साथ नया परियोजना कार्य बना कर जमा करना होगा।
- पाठ्यक्रम समन्वयक स्वयं, या उनके द्वारा नामांकित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कोई अन्य शिक्षक (कम-से-कम सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत) परियोजना कार्य के पर्यवेक्षक होंगे। इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति परियोजना कार्य का पर्यवेक्षक नहीं हो सकता। विद्यार्थी को पर्यवेक्षक की जानकारी दूरस्थ शिक्षा केंद्र की वेबसाइट से प्राप्त हो जाएगी। प्रत्येक सत्र में परियोजना कार्य हेतु 16 घंटे की परामर्श कक्षाएँ रविवार/ अवकाश वाले दिनों में आयोजित की जाएँगी। इन परामर्श कक्षाओं के समय विद्यार्थी विश्वविद्यालय में आकर पर्यवेक्षक से अपने परियोजना कार्य के बारे में विचार-विमर्श कर सकते हैं।

- परियोजना कार्य तैयार हो जाने के उपरांत इसके ऊपर फॉर्म क्रमांक 3 भरकर लगाना अनिवार्य है। फॉर्म क्रमांक 3 पर विद्यार्थी का वही हस्ताक्षर होना चाहिए जो उसने पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय दिया था। यदि परियोजना कार्य के ऊपर फॉर्म क्रमांक 3 नहीं लगा होगा या उसमें वांछित समस्त जानकारी नहीं भरी गई होगी तो परियोजना कार्य निरस्त कर दिया जाएगा।
- परियोजना कार्य हेतु कुछ प्रस्तावित विषय दूरस्थ शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर उदाहरण स्वरूप दिए जाएंगे। अपने परियोजना पर्यवेक्षक से परामर्श के उपरांत विद्यार्थी अन्य विषयों का चुनाव करने हेतु स्वतंत्र है; बस इस बात की सावधानी बरतनी होगी कि विषय पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु के अंतर्गत आता हो, अन्यथा परियोजना कार्य निरस्त कर दिया जाएगा।
- विद्यार्थी एक सत्र में सिर्फ एक बार ही परियोजना कार्य जमा कर सकता है। यदि विद्यार्थी एक से अधिक बार परियोजना कार्य जमा करता है तो सबसे पहले जमा किया गया परियोजना कार्य ही मान्य होगा।
- परियोजना कार्य को रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा स्वयं आकर दूरस्थ शिक्षा केंद्र में जमा कराना होगा।
- प्रत्येक सत्र में परियोजना कार्य जमा कराने की अंतिम तिथि दूरस्थ शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित की जाएगी एवं दूरस्थ शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि वे इस जानकारी को वेबसाइट से प्राप्त कर के अंतिम तिथि तक दूरस्थ शिक्षा केंद्र में परियोजना कार्य जमा करें।अंतिम तिथि तक परियोजना कार्य दूरस्थ शिक्षा केंद्र में जमा करना अनिवार्य है। अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त परियोजना कार्य निरस्त कर दिया जाएगा। अंतिम तिथि आगे बढ़ाने हेतु दिए गए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी अंतिम तिथि आगे बढ़ाने हेतु अनावश्यक रूप से जोर देता है तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा, एवं ऐसी स्थिति में विद्यार्थी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।
- परियोजना कार्य के लिए कोई भी मौखिक या लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

<u>सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों की सत्रांत परीक्षा</u>

- सत्रांत परीक्षा दूरस्थ शिक्षा केंद्र, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार में आयोजित की जाएगी।
- सत्रांत परीक्षा प्रत्येक छः माह (सामान्य रूप से जून एवं दिसम्बर में) में आयोजित की जाती है।
- प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र की लिखित सत्रांत परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी तथा इसका पूर्णांक 80 अंक होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक (32 अंक) लाना अनिवार्य है।
- किसी भी सैद्धांतिक प्रश्नपत्र में विद्यार्थी तभी उत्तीर्ण माना जाएगा जब वह उस प्रश्नपत्र की लिखित सत्रांत परीक्षा एवं उस प्रश्नपत्र के सत्रीय कार्य, दोनों में उत्तीर्ण हो जाएगा।
- एक बार किसी सैद्धांतिक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने के उपरांत दोबारा उसकी परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। इसी प्रकार एक बार सत्रीय कार्य अथवा परियोजना कार्य में उत्तीर्ण होने के उपरांत दोबारा इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- विद्यार्थी हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में परीक्षा में उत्तर लिख सकता है।

- प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के प्रत्येक प्रश्नपत्र को उत्तीर्ण करने के लिए अधिकतम दो अवसर उपलब्ध होंगे, एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रत्येक प्रश्नपत्र को उत्तीर्ण करने के लिए अधिकतम तीन अवसर दिए जाएंगे।
- सत्रांत परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षा प्रपत्र (फॉर्म) (Examination Form) भरना अनिवार्य है। परीक्षा प्रपत्र के जमा न होने की स्थिति में विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।
- प्रत्येक सत्र में ऑनलाइन (online) परीक्षा प्रपत्र दूरस्थ शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह विद्यार्थी की जिम्मेदारी है कि वह दूरस्थ शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर जा कर ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र को भरे एवं जमा करे।
- परीक्षा प्रपत्र में वर्णित प्रश्नपत्रों के सत्रीय कार्य, परीक्षा प्रपत्र के साथ ही जमा किए जाने चाहिए। ऐसा न होने की स्थिति में परीक्षा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में छूट उसी स्थिति में होगी जब कि किसी पूर्व सत्र में, किसी प्रश्नपत्र का सत्रीय कार्य, उस प्रश्नपत्र से सम्बद्ध परीक्षा प्रपत्र के साथ जमा किया जा चुका हो, एवं उस सत्र में उस सत्रीय कार्य में उत्तीर्ण होने हेतु वांछित 40% अंक प्राप्त कर लिए गए हों।
- उस प्रश्नपत्र का सत्रीय कार्य स्वीकार नहीं किया जाएगा जिसे परीक्षा प्रपत्र में नहीं भरा गया है। यदि ऐसा कोई सत्रीय कार्य प्राप्त होता है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा।
- यदि परीक्षा प्रपत्र में परियोजना कार्य उल्लिखित है तो इसे बिना परियोजना कार्य के स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- परियोजना कार्य उससे सम्बद्ध परीक्षा प्रपत्र (जिसमें परियोजना कार्य का उल्लेख हो) के बिना स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा कोई परियोजना कार्य प्राप्त होता है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा।
- स्नातकोत्तर डिप्लोमा योग विज्ञान पाठ्यक्रम के प्रथम सत्र में (जिस सत्र में प्रवेश लिया गया है) सिर्फ प्रथम सत्र के सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों की सत्रांत परीक्षा में ही भागीदारी की जा सकती है। द्वितीय सत्र एवं उसके उपरांत, उपर्लिखित नियमों का ध्यान रखते हुए, किसी भी प्रश्नपत्र (जो विद्यार्थी ने उत्तीर्ण न किया हो) की सत्रांत परीक्षा में भागीदारी की जा सकती है; किंतु पहले प्रथम सत्र के सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों की परीक्षा में ही भागीदारी की जानी चाहिए।
- प्रत्येक विद्यार्थी से एक सत्र में एक बार ही परीक्षा प्रपत्र लिया जाएगा।
- उपर्लिखित नियमों का ध्यान रखते हुए विद्यार्थी अपनी सुविधानुसार यह चयन कर सकता है कि वह एक सत्र में किन प्रश्नपत्रों की सत्रांत परीक्षा देना चाहता है। उदाहरणार्थ, यदि विद्यार्थी 2 प्रश्नपत्रों की ही परीक्षा देने का इच्छुक है तो उसे मात्र उन 2 प्रश्नपत्रों के नाम ही परीक्षा प्रपत्र में भरने चाहिए।
- अनुत्तीर्ण/ अनुपस्थित विद्यार्थी को अगली बार उस प्रश्नपत्र की परीक्षा देने हेतु पुन: परीक्षा प्रपत्र में उस प्रश्नपत्र का नाम भरना होगा।
- प्रत्येक सत्र में परीक्षा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि दूरस्थ शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित की जाएगी एवं दूरस्थ शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि वे इस जानकारी को वेबसाइट से प्राप्त कर के अंतिम तिथि तक परीक्षा प्रपत्र जमा करें। अंतिम तिथि तक परीक्षा प्रपत्र दूरस्थ शिक्षा केंद्र में जमा करना अनिवार्य है। अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त परीक्षा प्रपत्र

निरस्त कर दिया जाएगा। अंतिम तिथि आगे बढ़ाने हेतु दिए गए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी अंतिम तिथि आगे बढ़ाने हेतु अनावश्यक रूप से जोर देता है तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा, एवं ऐसी स्थिति में विद्यार्थी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।

- परीक्षा प्रपत्र के साथ कोई भी शुल्क देय नहीं होगा।
- जमा किए गए परीक्षा प्रपत्र की जाँच दूरस्थ शिक्षा केंद्र में की जाएगी; परीक्षा प्रपत्र में वर्णित प्रश्नपत्रों में से, यदि विद्यार्थी किसी प्रश्नपत्र की सत्रांत परीक्षा में उपस्थित होने हेतु वांछित आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं कर रहा होगा, तो उसे उस प्रश्नपत्र की सत्रांत परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- परीक्षा प्रपत्र स्वीकृत होने पर विद्यार्थी को परीक्षा प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा।
- सत्रांत परीक्षा के समय दूरस्थ शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया स्थाई परिचय पत्र एवं परीक्षा प्रवेश पत्र दोनों लाना आवश्यक है, अन्यथा परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।
- पाठ्यक्रम एवं परीक्षा संबंधी अन्य निर्देश वेबसाइट पर दिए जाएंगे। यह विद्यार्थी की जिम्मेदारी है कि वह इन निर्देशों की जानकारी वेबसाइट से प्राप्त करे एवं इनका पालन करे।

<u>परीक्षाफल</u>

- परीक्षाफल दूरस्थ शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- यदि विद्यार्थी किसी 'सैद्धांतिक प्रश्नपत्र की सत्रांत परीक्षा की उत्तर पुस्तिका' अथवा 'परियोजना कार्य' की पुनर्गणना (re-counting) कराना चाहता है तो उसे पुनर्गणना हेतु आवेदन प्रपत्र (फॉर्म क्रमांक-11) भरकर, परीक्षाफल की घोषणा के 15 दिन के अंदर, दूरस्थ शिक्षा केंद्र में जमा करना होगा। यह फॉर्म दूरस्थ शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। पुनर्गणना शुल्क एवं अन्य संबंधित नियमों की जानकारी फॉर्म में ही दी जाएगी।
- किसी भी 'सैद्धांतिक प्रश्नपत्र की सत्रांत परीक्षा की उत्तर पुस्तिका' अथवा 'परियोजना कार्य' का पुनर्मूल्यांकन (re-evaluation) नहीं कराया जाएगा।
- सत्रीय कार्य एवं प्रायोगिक कार्य प्रश्नपत्र हेतु पुनर्गणना (re-counting) एवं पुनर्मूल्यांकन (re-evaluation), दोनों ही सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं।
- यदि कोई विद्यार्थी समस्त प्रश्नपत्रों को उत्तीर्ण कर लेता है, अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु वांछित समस्त आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, एवं उसके समस्त प्रमाणपत्र सही से जमा हैं, तो उसकी अंकतालिका(एँ) एवं पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र बनाकर पोस्ट द्वारा उसे भेज दिया जाएगा।
- किसी पाठ्यक्रम की अंकतालिका तब तक नहीं दी जाएगी जब तक उस पाठ्यक्रम के समस्त प्रश्नपत्रों को उत्तीर्ण नहीं कर लिया जाएगा।
- अंकतालिका एवं प्रमाणपत्र में विद्यार्थी का नाम उसके 10वीं कक्षा के अंकपत्र के अनुसार डाला जाएगा। यदि विद्यार्थी नाम में परिवर्तन चाहता है तो उसे इस संदर्भ में वैधानिक व्यवस्था के अनुसार वांछित प्रमाणपत्र जमा करने होंगे।

- यह विद्यार्थी की जिम्मेदारी है कि वह पाठ्यक्रम में प्रवेश के उपरांत दिए गए स्थाई परिचय पत्र में वर्णित समस्त जानकारी, जैसे नाम आदि की जाँच करे, एवं यदि कोई परिवर्तन अपेक्षित हो तो प्रमाण के साथ दूरस्थ शिक्षा केंद्र को सूचित करे। ऐसा न करने की स्थिति में यदि एक बार उसी जानकारी के साथ अंकतालिका अथवा प्रमाणपत्र छप जाता है, और विद्यार्थी उसमें परिवर्तन कराना चाहता है, तो

  प्रत्येक संशोधित अंकतालिका एवं प्रमाणपत्र बनाने हेतु विद्यार्थी को रु० 500/- शुल्क जमा करना होगा, एवं इस आशय के आवेदन के साथ उस परिवर्तन से संबंधित प्रमाणपत्र संलग्न करने होंगे।

  उपर्लिखित नियमों के साथ-साथ अन्य समस्त नियम एवं निर्देश दूरस्थ शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।